

2 - प्रैल

वर्ष 2011-12 हेतु आवंटन

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
एटा, उन्नाव, आगरा, महामाया नगर(हाथरस) एवं कांशीराम नगर।
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 852/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/2011-12 दिनांक 16 सितम्बर-2011
विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना)
के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-683/26-ब0प्र0-2011-17(बजट)/2010, दिनांक 09-09-2011 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि रु0 27500.00 लाख (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी गयी है। शासन के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि रु0 2750.00 लाख (रु0 सत्ताईस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि रोकते हुए शेष धनराशि रु0 24750.00 लाख (रूपये दो अरब सैंतालीस करोड़ पचास लाख मात्र) में से रु0 16162.34 लाख इस कार्यालय के पत्रांक-जीओ-92/सम्पेक्षा/म0मा0आ0यो0/11-12, दिनांक 14-09-2011 द्वारा जनपदों को उनकी मांग के आधार पर आवंटित कर दी गयी है। अब शेष बची धनराशि रु0 8587.66 लाख में से संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के पत्रांक 1008/डा0अम्बे0ग्रा0वि0यो0/2011-12, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 व जिलाधिकारी एटा के पत्रांक 168/अ0लि0/डा0अ0ग्रा0स0/संसू0/2011-12, दिनांक 08-9-2011 एवं आगरा के जिलाधिकारी के पत्रांक 1551/मु0वि0अ0/अनु0सहा0/म0आ0यो0/2011-12, दिनांक 12-9-2011 द्वारा बतायी गयी मांग के क्रम में निम्न विवरणानुसार आवंटित की जा रही है:-

धनराशि लाख रु0 में

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटित की जा धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	4
1	एटा	42.75	132.75
2	उन्नाव	114.15	1135.20
3	आगरा	0.90	81.00
4	महामाया नगर(हाथरस)	-	63.45
5	कांशीराम नगर	(-) 63.45	81.90
	योग	94.35	


(रूपये चौरान्बे लाख पैंतीस हजार मात्र)

इस कार्यालय के पत्रांक जी0ओ0-92/सम्पेक्षा/म0आ0यो0/11-12, दिनांक 14 सितम्बर, 2011 द्वारा निर्गत आवंटन में महामाया नगर(हाथरस) के सम्मुख कालम-22 में प्रगामी योग 126.90 लाख दर्शाया गया है जिसके स्थान पर प्रगामी योग 63.45 पढ़ा जाय।

जिला विकास अधिकारी कांशीराम नगर से दिनांक 16-9-2011 को दूरभाष पर हुई वार्ता के क्रम में कांशीराम नगर से रु0 63.45 लाख की धनराशि पुनग्रहीत की जा रही है। पुनग्रहीत धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा पूर्व आवंटन आदेश दिनांक 14-9-2011 में दर्शाया गया प्रगामी योग त्रुटिपूर्ण है जो अब इस पुनग्रहण के उपरान्त शुद्ध रूप से कालम-4 में दर्शाया जा रहा है।

- 2- आवंटित की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।
- 3- उक्त आवंटित धनराशि के व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 4- आवंटित की जा रही इस धनराशि को अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
- 5- आवंटित की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।
- 6- आवंटन में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
- 7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामें डाला जायेगा।
- 8- आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9- उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या-187 पर कर ली गई है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (संजीव कुमार)
 आयुक्त
 ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक:- 852 / सम्प्रेक्षा / म०आ०यो० / 2011-12 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, अम्बेडकर ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, एटा, उन्नाव, आगरा, महामायानगर(हाथरस) एवं कांशीराम नगर उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, एटा, उन्नाव, आगरा, महामायानगर(हाथरस) एवं कांशीरामनगर उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, एटा, उन्नाव, आगरा, महामाया नगर(हाथरस) एवं कांशीराम नगर, उ०प्र०।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-2 / नियोजन अनुभाग-3 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
- 8- नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र०शासन।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/4, उ०प्र०शासन।
- 10- संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ०प्र०शासन को शासनादेश संख्या-683 / 26- ब०प्र०- 2011-17(बजट) / 2010, दिनांक 09-09-2011 के क्रम में।


 (महेश कुमार अग्निहोत्री)
 अपर आयुक्त (लेखा)
 ग्राम्य विकास, उ०प्र०
 2

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ : दिनांक: 09 सितम्बर, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-714/सम्प्रेक्षा/ ———, 2011-12 दिनांक 17 जून, 2011 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या-307/26-ब0प्र0-2011-17 बजट/2010, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति आवास योजना (महामाया आवास योजना) के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 27500.00 लाख (₹0 दो अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से 10 प्रतिशत की धनराशि आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर पर आरक्षित रखी जायेगी जिसमें से यथावश्यक जनपदों की मांग के अनुसार आवश्यक धनराशि बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण की सहमति से आवंटित की जायेगी ।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा ।
- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग के लिए एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 4- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा । वित्तीय वर्ष के अंत में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार समर्पित किया जायेगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों एवं योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये ।
- 6- धनराशि का उपयोग महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर किया जायेगा तथा धनराशि का आवंटन महामाया आवास योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।
- 7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त, लेखा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों का विचलन होता है तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध करा दें ।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-“4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-महामाया आवास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान” के नामें डाला जायेगा ।

6

-2-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जनपदवार फॉट तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें ताकि धनराशि का आहरण करते हुये इस योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सके ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1525/दस-2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी०बी० सिंह)

संयुक्त सचिव ।

संख्या- 683(1)/26-ब०प्र०-2011-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 3- प्रमुख सचिव, अन्वैडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० ।
- 5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
- 6- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनु०-3/नियोजन अनु०-3/रा०यो० आयोग-2
- 8- एन०आई०सी० की प्रति/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1
- 9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव ।